E-mail/FAX

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0 सं0–2/शि0स्था0–60–09/17– 1145

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार (भा0प्र0से0),
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना, दिनांक – 12-5-18

विषयः–वर्ष 2018 में अम्बेदकर आवासीय विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों के नियमित स्थानान्तरण के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि विभागान्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में पदस्थापित विभिन्न कोटि के शिक्षकों का (नियमित) स्थानान्तरण, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के आलोक में वर्ष में एक बार जून माह में किया जाना है। साथ ही गंभीर समस्या रहने पर शिक्षकों के व्यक्तिगत अनुरोध के आधार पर भी स्थानान्तरण करने का प्रावधान किया गया है। परन्तु वर्ष 2017 में देखने में आया कि शिक्षकगण द्वारा जून माह के अंत तक स्थानान्तरण हेतु आवेदन समर्पित किया जाता है एवं कतिपय शिक्षकों द्वारा बाहरी व्यक्ति/राजनीतिक व्यक्ति के माध्यम से भी स्थानान्तरण हेतु अनुरोध किया जाता है।

2– अतः अनुरोध है कि जिन शिक्षकों का स्थानान्तरण के संबंध में कोई व्यक्तिगत अनुरोध हो, वे अपना आवेदन उचित माध्यम से दिनांक–25.05.2018 तक निश्चित रूप से समर्पित करे। किसी बाहरी व्यक्ति से स्थानान्तरण की अनुशंसा नियमविरूद्ध है एवं ऐसा करने पर संबंधित आवेदन को अस्वीकृत करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

3– सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों द्वारा अपने परिक्षेत्राधीन विद्यालयों में पदस्थापित प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं सहायक शिक्षकों को यह सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

4– संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा संबंधित शिक्षकों के स्थानान्तरण संबंधी आवेदन को अग्रसारित करते समय स्पष्ट मंतव्य/अनुशंसा अंकित की जायेगी।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार) 12/5/18
निदेशक।

ज्ञापांकः–2/शि0स्था0–60–09/17– 1145 पटना, दिनांक– 12-5-18

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण/सभी विद्यालयों के प्रधानध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं सहायक शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2– आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

12/5/18
निदेशक।

Letter 2D 2018 159